न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पेशकार [illegible] तहसीलदार
31/7/20	[illegible] दौरे पर [illegible] 14/9/20 [illegible] रीडर
14/9/20	[illegible] दौरे पर [illegible] 4/11/20 को पेश [illegible] रीडर
4/11/20	[illegible] दौरे पर [illegible] 21/12/20 को पेश [illegible] रीडर
21/12/20	[illegible] की देखा गया। नकीब पार्टी उपस्थित नकीब पार्टी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 [illegible] का पेश किया जिस पर प्रार्थना [illegible] 180/130 रकबा 55 बीघा 3 बिस्वा, [illegible] 181/80 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा स्थित ग्राम अलवाड़ा तहसील रामगढ़ पचवारा की पत्रावली [illegible] है। प्रकरण में सक्षिप्त रूप से तथ्य तहसीलदार रामगढ़ पचवारा के तथ्यानुसार [illegible] तहसीलदार रामगढ़ पचवारा [illegible] जिसके पार्टी आपसी [illegible] 180/130 व 181/80 कुल क्षेत्र 2 कुल रकबा 69.12 बिस्वा का ग्राम अलवाड़ा का [illegible] है एवं पार्टी को [illegible] के पुत्रों सोमकरण द्वारा [illegible] करने का [illegible] है [illegible]

ौसा यालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख को जारी हुये।
1	नाथेराम [illegible] बनाम [illegible] 128 [illegible] गलत गढ़े करवाया जा रहा है। हमने प्रस्तुत प्रार्थना का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया जिससे प्रतिपक्षीगण की कार्यवाही कि गलत गढ़े करवाने का कारण अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 [illegible] किया जाकर तहसीलदार रामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि मामला मिलान की कार्यवाही गलत गढ़े करवाना अविलम्ब करें। निर्णय उनका [illegible] उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला-दौसा (राज.)	

के व्यक्तियो के द्वारा गलत प्रकार से प्रार्थी को हैरान व परेशान किया जा रहा हैं जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सुदपयोग एवं विकास कार्य नहीं हो पा रहा हैं।

नाथेराम